Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 22 ⁄ 2025 सी.आई.एस.क्र.– 22 ⁄ 2025

प्रेम लाल मंडल एवं अन्य बनाम गमक लाल मंडल उर्फ अगम लाल मंडल एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
23.06.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 से 8, 13, 14 एवं 15 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। प्रतिवादी सं0 15 की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जबकि प्रतिवादी सं0 15 के विरूद्ध दिनांक 17.02.2026 को ही एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित है। ऐसी दशा में प्रतिवादी सं0 15 के लिखित कथन को अभिलेख पर रखा जाता है। यह वाद प्रतिवादी सं0 13 तथा 14 तथा प्रतिवादी सं0 2 एवं 3 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक क्रमशः 04.04.2026 एवं 18.04.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर उक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण नियत समय में लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं तथा प्रतिवादी सं0 2 और 3 पारिवारिक सदस्य के ईलाज में व्यस्त रहने के कारण नियत समय में उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण से उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 17.02.2026 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है तथा प्रतिवादी सं0 2 और 3 के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादीगण के लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाये। वादी के द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत न कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 13 और 14 दिनांक 09.12.2025 को ही उपस्थित हो गये थे परंतु नियत समय में उनके द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेशफलक दिनांक 17.02.2026 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभिलेख पर प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 एवं 15 का तामिला सम्पुष्ट किया गया है परंतु त्रुटिवश प्रतिवादी सं0 4 की जगह आदेशफलक में प्रतिवादी सं0 2, 3, 15 के साथ प्रतिवादी सं0 14 के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित हो गया है जिसे न्यायहित में संशोधित कर प्रतिवादी सं0 4 किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस वाद में प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं है। प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं 13 और 14 इस वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं तथा उनकी ओर से लिखित कथन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी दशा में प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं 13 और 14 के आवेदन को न्यायहित में **200–200 रूपये खर्च पर स्वीकृत** किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक ..... वास्ते अग्रिम कारवाई। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	